बिहार सरकार
समाहरणालय,कैमूर (भभुआ)
(सामान्य शाखा)

जिला गजट

सं0–03 दिनांक 15.04.2020

मास–बैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि

विक्रम संवत्–2077

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण अंक

श्री सिपाही पासवान,चौकीदार,अंचल–भभुआ के सरकारी सेवा से बर्खास्तगी आदेश (Dismissal Order) का गजट प्रकाशन :–

जिला स्थापना शाखा,कैमूर (भभुआ) द्वारा निर्गत जिला पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ) के आदेश सं0–02/2020–21 ज्ञापांक 483/स्था0 दिनांक 11.04.2020

ह0/–
(डॉ नवल किशोर चौधरी)
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

बिहार सरकार

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(स्थापना शाखा)

दूरभाष सं0– 06189 – 223241 (O)
फैक्स सं0– 06189 – 223301
E-mail - dm-bhabhua.bih@nic.in
E-mail - edckaimur@gmail.com

आदेश संख्या–02/2020–21

श्री रामाकान्त सिंह, ग्राम–नोनरा, पोस्ट–कुड़ासन, थाना–भभुआ, जिला–कैमूर के द्वारा आवेदन पत्र समर्पित कर सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ पर अष्टम् उत्तीर्ण फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त आरोप के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ से प्रतिवेदन की मॉग की गई।

उक्त आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक– 590 दिनांक 19.06.2015 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भभुआ एवं अंचलाधिकारी, भभुआ से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचलाधिकारी, भभुआ के पत्रांक– 1671 दिनांक 04.11.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री पासवान का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्वथा भ्रामक एवं असत्य प्रतित होता है, जिसमें विद्यालय कर्मी की संलिप्तता परिलक्षित होती है। अंचलाधिकारी, भभुआ द्वारा इस मामले का निष्पादन किये जाने तक श्री पासवान का वेतन भुगतान लम्बित रखे जाने की अनुशंसा की गई।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भभुआ का पत्रांक–1762 दिनांक 08.12.2015 द्वारा इस मामले की संयुक्त रूप से जॉच करने हेतु अंचलाधिकारी, भभुआ एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भभुआ को निदेशित किया गया। तद्पोरान्त अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भभुआ द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 10.12.2015 को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी में संधारित छात्र नामांकन पंजी वर्ष– 1983–1991 तक की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 23.01.1986 को क्रमांक 128 पर श्री सिपाही पासवान, पिता– घुरभारी पासवान, ग्राम– नोनरा एवं जन्म तिथि 08.05.1979 अंकित है। परन्तु उक्त विवरण किसी अन्य बच्चे के अंकित नाम को मिटाकर अंकित किया गया प्रतीत होता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक– 1840 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमति जताई गई ।

तद्पोरान्त इस कार्यालय के पत्रांक– 204 दिनांक 24.02.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी से नामांकन पंजी मूल में एवं श्री पासवान के अष्टम् उत्तीर्ण होने के प्रतिवेदन की मॉग की गयी। प्रधानाध्यापक राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी द्वारा दिनांक 04.04.2016 को नामांकन पंजी उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि श्री पासवान का अष्टम् उतीर्ण होने के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र स्व0 रामानन्द पाण्डेय, पूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी द्वारा निर्गत किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक– 387/स्था0 दिनांक 13.04.2016 द्वारा श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ से अष्टम् उत्तीर्ण फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने एवं नामांकन पंजी में किसी दूसरे छात्र का नाम को हटाकर

आपना नाम अंकित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। श्री पासवान द्वारा दिनांक 02.05.2016 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उन्हे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा निर्गत किया गया है, जो विद्यालय में संधारित नामांकन पंजी के आधार पर है। श्री रामाकान्त सिंह, ग्राम– नोनरा जिनसे उनकी पूर्व से दुश्मनी है, उन्होंने बिल्कुल गलत एवं झूठा आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है।

उक्त आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 406/स्था0 दिनांक 21.04.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी, अंचल–भभुआ से श्री पासवान के अष्टम उतीर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक का नाम, पदनाम सहित पते की मॉग की गयी। प्रधानाध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी, अंचल–भभुआ के पत्रांक 03 दिनांक 16.05.2016, पत्रांक 04 दिनांक 27.05.2016 एवं पत्रांक 05 दिनांक 30.06.2016 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि श्री पासवान का अष्टम उतीर्ण होने का प्रमाण–पत्र फर्जी है। इस कार्यालय के पत्रांक 567/स्था0, दिनांक 06.06.2016 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर से योग्यता प्रमाण–पत्र गलत होने से संबंधित पुख्ता प्रमाण की मॉग की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 10/प्रशा0 दिनांक 13.01.2017 के साथ संलग्न प्रधानाध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी, अंचल–भभुआ के पत्रांक 08 दिनांक 11.01.2017 द्वारा अष्ट्म उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र को फर्जी दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के आदेश संख्या– 87/2016–17 ज्ञापांक–120/स्था0 दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005–भाग IV के नियम–9 एवं बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में मुख्यालय अंचल कार्यालय, चैनपुर निर्धारित किया गया एवं अंचलाधिकारी, भभुआ से श्री पासवान द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुकम्पा आधारित नौकरी प्राप्त करने के आरोप में **श्री पासवान पर प्राथमिकी दर्ज** करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु **आरोप पत्र प्रपत्र "क" में गठित कर चार प्रति साक्ष्य सहित** उचित माध्यम से मॉग की गयी। अंचलाधिकारी, भभुआ द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र "क" को अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक– 447/सा0 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया गया है।

प्राप्त प्रपत्र "क" में आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए श्री सिपाही पासवान, चौकीदार अंचल कार्यालय, भभुआ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या–112/2017–18 ज्ञापांक– 1392/स्था0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, भभुआ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ के पत्रांक–548 दिनांक 28.04.18 एवं विभागीय कार्रवाई अभिलेख संख्या– 02/2017–18 दिनांक 28.04.2018 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है:–

क्र॰	आरोप की विवरणी प्रपत्र "क" के बिन्दु	आरोपी का स्पष्टीकरण	उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं मंतव्य	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	श्री रामाकान्त सिंह, ग्राम– नोनरा, पोस्ट– कुड़ासन, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर द्वारा आवेदन समर्पित कर श्री सिपाही पासवान पर अष्टम उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगया गया है।	नियुक्ति के समय विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी विधिवत जॉचोपरान्त प्रमाण–पत्र को सही मानकर ही नियुक्ति की गई थी। 1986 में प्रवेश पंजी में उनका नाम क्रमांक 128 पर अंकित है, एवं जन्म तिथि 08.05.1979 दर्ज है तथा तत्कालीन प्रधानाध्यापक का नाम भी अंकित है। राजकीय कृत मध्य विद्यालय सरेवा में दर्ज नामांकन पंजी में पुत्र दिनेश पासवान की जन्म तिथि 20.08.1985 अंकित है। इस प्रकार पिता और पुत्र की उम्र में 6 वर्ष का अंतर है। अंतर का कारण यह है कि उनके पिता कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तथा उन्होंने ही विद्यालय में नामांकन कराया था।	उक्त प्रपत्र "क" एवं साक्ष्य के रूप में लगाये गये परिशिष्ट से मैं सहमत हूँ।	आरोपित कर्मी के विरूद्ध गठित प्रपत्र "क" संलग्न कागजात, आरोपित कर्मी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन, उपस्थापन पदाधिकारी का लिखित अभिकथन एवं प्रस्तुत कागजात पर सम्यक् विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि विभिन्न स्तरों पर की गई जॉच में आरोपित कर्मी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया। आरोपित कर्मी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को गलत नहीं होने का उल्लेख तो किया गया है, परन्तु विभागीय कार्रवाई के संचालन के दौरान आरोपित कर्मी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो कि आरोपित कर्मी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र सही है। इस प्रकार आरोपित कर्मी के उपर लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते है।
2	जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 406 दिनांक 21.04.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी, अंचल– भभुआ का प्रतिवेदन की मॉग की गई, जिसमें प्रमाण–पत्र फर्जी करार दिया गया ।	नामांकन पजीं में उनका नाम सिपाही पासवान, पिता का नाम घुरभारी पासवान, ग्राम– नोनरा, जन्म तिथि 08.05.1979 अंकित है। यद्यपि उनके उपर यह आरोप लगाया गया है कि नामांकन पंजी में किसी दूसरे बच्चे के	उक्त प्रपत्र "क" एवं साक्ष्य के रूप में लगाये गये परिशिष्ट से मैं सहमत हूँ।	

		नाम को इरेज करके वहॉ सिपाही पासवान अंकित किया गया है। परन्तु जॉच एजेन्सी/ विद्यालय प्रधान द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस बच्चे का नाम इरेज किया गया है पूर्व में वहॉ किस बच्चे का नाम अंकित किया गया था। नामांकन पर्जी में इरेजिंग सिर्फ छात्र के नाम में है, पिता के नाम एवं ग्राम, तथा जन्म तिथि में कोई इरेजिंग नहीं है। ग्राम– नोनरा में उनके पिता घुरभारी पासवान के नाम का अन्य कोई और व्यक्ति नहीं था और आज भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रमाण–पत्र निर्गत होने के उपरान्त विपक्षी श्री रामाकान्त सिंह द्वारा तत्कालीन विद्यालय प्रधान से सॉठ–गॉठ कर नामांकन पंजी में छेड–छाड़ किया गया है, ताकि उसे उनके विरूद्ध साक्ष्य बनाया जा सके।		
3	राजकीय कृत मध्य विद्यालय, मोकरी, अंचल भभुआ के पत्रांक– 03 दिनांक 16.05.2016 एवं पत्रांक– 04 दिनांक 27.05.2016, पत्रांक– 08 दिनांक 30.08.2016 द्वारा अष्टम् उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को फर्ज़ी दर्शाया गया है।	क्रमांक– 01 एवं 02 में वस्तु स्थिति का विस्तृत विवरण किया जा चुका है।	उक्त प्रपत्र "क" एवं साक्ष्य के रूप में लगाये गये परिशिष्ट से मैं सहमत हूँ।	

4	ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) का पत्रांक– 10 दिनांक 13.01.2017 द्वारा अष्टम् उतीर्ण प्रमाण–पत्र को फर्जी दर्शाया गया है।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर का उक्त प्रतिवेदन वर्तमान प्रधानाध्यापक, रा0कृ0म0वि0, मोकरी के प्रतिवेदन पर आधारित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर द्वारा उक्त प्रतिवेदन समर्पित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उनकें द्वारा उनके पक्षों को नजर अंदाज किया गया है, जो उपर कण्डिका 01 एवं 02 में वर्णित है। इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर का उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है।	उक्त प्रपत्र ''क'' एवं साक्ष्य के रूप में लगाये गये परिशिष्ट से मैं सहमत हूँ।	
5	जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के आदेश संख्या– 87/2016–17 ज्ञापांक– 120/स्था0 दिनांक 31.01.2017 के द्वारा अष्टम् उतीर्ण प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने एवं उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुकम्पा आधारित नौकरी प्राप्त करने के विरूद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली, 2005 भाग संख्या– 04 नियम– 09 एवं बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल श्री पासवान के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी।	जैसा कि निवेदन किया जा रहा है कि गॉव के रामाकान्त सिंह के द्वारा जिनसे उनकी दुश्मनी है, फॅसाया जा रहा है।	उक्त प्रपत्र ''क'' एवं साक्ष्य के रूप में लगाये गये परिशिष्ट से मैं सहमत हूँ।	

संचालन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ के द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाये जाने पर इस कार्यालय के ज्ञापांक– 785/स्था0 दिनांक 23.06.2018 द्वारा श्री सिपाही पासवान, चौकीदार अंचल कार्यालय, भभुआ से द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

आरोपी कर्मी द्वारा दिनांक 07.07.2018 को द्वितीय कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा में श्री पासवान द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनके गॉव के ही श्री रामाकान्त सिंह द्वारा भूमि विवाद के कारण उनकी नियुक्ति एवं प्रमाण पत्र के विरूद्ध आरोप लगाया गया है। नियुक्ति के समय अष्टम् उतीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी महोद्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसकी विधिवत जॉचोपरान्त उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया।

तद्पोरान्त इस कार्यालय के पत्रांक– 1463/स्था0 दिनांक 24.11.2018 द्वारा श्री मदन गोपाल गुप्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता, कैमूर से श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर विधिक मंतव्य की मॉग की गयी। सरकारी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.02.2019 को विधिक मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित है कि श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ द्वारा गलत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप अति गम्भीर प्रकृति का है तथा उनके विरूद्ध भभुआ थाना काण्ड संख्या– 688/2017 दिनांक 02.11.2017 अन्तर्गत धारा– 420/471/468 आई0पी0सी0 दर्ज है, जो न्यायालय में लम्बित है। ऐसे गम्भीर प्रमाणित आरोपों में श्री पासवान का एक चौकीदार के पद पर बने रहना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री पासवान को तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी का द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर अनुकम्पा आधारित नौकरी प्राप्त करने का आरोप प्रमाणित होता है। इन्हें वृहद दण्ड देना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा भ्रष्टाचार एवं अराजकता को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों में भी गलत संदेश जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी का द्वितीय कारण पृच्छा तथा उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए **मैं डॉ0 नवल किशोर चौधरी, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, कैमूर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 14 (XI) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करता हूँ।**

श्री सिपाही पासवान से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

1.	कर्मचारी का नाम	:–	श्री सिपाही पासवान,
2.	पिता का नाम	:–	स्व0 घुरभारी पासवान,
3.	पद का नाम	:–	चौकीदार,
4.	कार्यालय का नाम	:–	अंचल कार्यालय, भभुआ
5.	स्थायी पता	:–	ग्राम– नोनरा, पोस्ट– कुड़ासन, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर

ह0/–
(डॉ नवल किशोर चौधरी)
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक– I-18-20/483/ स्था॰ दिनांक 11.04.2020

प्रतिलिपिः– श्री सिपाही पासवान, चौकीदार, अंचल कार्यालय, भभुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ नवल किशोर चौधरी)
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)